छात्रसंघ चुनाव – 2007–08

सूचना

उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन से प्राप्त अकादमिक कैलेण्डर 2007–08 द्वारा महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की तिथियां 23–24 अगस्त निर्धारित की गई है। चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना अनिवार्य है :–

अर्हताएं

1. छात्र/छात्रा ने 12 वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा, वर्ष 2003 के पूर्व उत्तीर्ण न की हो।
2. छात्र/छात्रा ने किसी भी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम् अवधि में ही उत्तीर्ण किया हो।
3. छात्र/छात्रा ने महाविद्यालय के सभी शुल्क जमा कर दिये हो।
4. छात्र/छात्रा को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित नहीं किया गया हो अथवा उसके विरूद्व आरोप अधिरोपित कर न्यायालयीन कार्यवाही नहीं चल रही हो।
5. किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दण्डित नहीं किया गया हो अथवा उसके विरूद्व अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण कार्यवाही लंबित न हो ।
6. छात्र/छात्रा महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं नियोजित न हो ।
7. महाविद्यालय का कोई अग्रिम बकाया नहीं हो ।
8. संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दण्डित नहीं किया गया हो अथवा जिसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था में लंबित नहीं हो।
9. छात्र/छात्रा ने एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा अपूर्ण छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश न लिया हो।
10. किसी भी उपाधि परीक्षा को पूरक के द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया हो।
11. छात्र/छात्रा का प्रवेश अस्थायी न हो।

12. अध्ययन अवधि में छात्रावास से निष्काषित नहीं किया गया हो।

13. छात्र/छात्रा कभी भी रैगिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त न रहा हो ।

14. ऐसा विद्यार्थी जो गत किसी भी वर्ष में अध्यादेश क्रमांक 01 के अंतर्गत किसी भी समिति/अथवा छात्र संघ का पदाधिकारी रह चुका है वह उस पद के लिए दुबारा चुनाव लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा।

15. कोई भी विद्यार्थी स्नातक स्तर पर केवल एक बार तथा इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर केवल एक बार कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा।

16. इस वर्ष 2007–08 छात्रसंघ पदाधिकारी चुनाव में रोटेशन के तहत एक पद छात्रा प्रत्याशी हेतु आरक्षित रखा गया है। पद का चयन पर्ची द्वारा तय किया जायेगा।

17. पीएच.डी उपाधि हेतु पंजीकृत शोधार्थी छात्रसंघ निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। शोधार्थी की अधिकतम आयु 28 वर्ष रहेगी। कक्षा प्रतिनिधियों के निर्वाचन के समय महाविद्यालय में पंजीकृत समस्त पूर्णकालिक (जो अन्य किसी नियोजन में संलग्न न हों) शोधकर्ताओं को एक कक्षा मानकर कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा।

नोटः किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित अध्यादेश क्रमांक – 01 तथा मान. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एस.एल.पी. क्र. 24295/04 में दिये गये निर्देशों के प्रावधान कार्यवाही के लिए अधिकृत होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत प्रावधान स्वतः ही परिवर्तित माने जायेंगे।

अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /पिछड़ा वर्ग/छात्राओं के लिये प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/छात्राओं के प्रतिनिधित्व के लिये प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम प्रत्येक वर्ग हेतु एक पद कक्षा प्रतिनिधि का आरक्षित किया जावेगा। जिसका प्रथमवर्ष में निर्धारण सेक्शन के इन वर्गो के छात्र/छात्राओं की उच्चतम प्रतिनिधित्व की संख्या के आधार पर किया जावेगा। महाविद्यालय में जिस सेक्शन में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की संख्या अधिकतम होगी। उस सेक्शन को अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिये आरक्षित किया जावेगा ।

इसके पश्चात् उस सेक्शन को हटाकर शेष बचे सेक्शनों में से अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्चतम संख्या वाले सेक्शन को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिये आरक्षित किया जावेगा।

इसके पश्चात् इन सेक्शनों को हटाकर शेष बचे सेक्शनों में से पिछड़ा वर्ग के छात्रों की उच्चतम संख्या वाले सेक्शन को पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये आरक्षित किया जावेगा।

छात्राओं के प्रतिनिधित्व के लिये कक्षा प्रतिनिधियों में से एक सेक्शन पर्ची डालकर लाटरी के माध्यम से छात्राओं के लिये आरक्षित किया जाएगा।

छात्राओं के प्रतिनिधित्व के लिये अध्यादेश क्रमांक 01 के प्रावधानों के अनुरूप ही चार पदाधिकारियों में से एक पद चक्रानुक्रम में आवंटित रहेगा ।

किन्तु आरक्षित सेक्शन में संबंधित वर्ग के कम से कम तीन छात्र/छात्रा होने पर ही आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

आवश्यक सूचना

छात्रसंघ निर्वाचन 2007–08

कक्षा प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु निर्देश

महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव से संबंधित जारी अध्यादेश क्रमांक 1 से नियम 20 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एस.एल. पी. क्र. 24295/04 के अंतर्गत :–

1. कोई भी छात्र/छात्रा अपनी अध्ययन अवधि में एक ही पद पर एक बार से अधिक अपने महाविद्यालय शैक्षणिक काल में पदाधिकारी नहीं हो सकता ।
2 कोई भी छात्र/छात्रा कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव हेतु स्नातक स्तर पर अध्ययन की अवधि में एक बार तथा इसी प्रकार स्नातकोत्तर अध्ययन अवधि में एक बार ही इस पद का प्रत्याशी बन सकता है ।
3. वर्ष 2007–08 में छात्रसंघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2006–07 में स्नातक स्तर पर इसी महाविद्यालय का नियमित छात्र रहा हो । किन्तु यदि वह स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी है तो उसे एक वर्ष पूर्व उसी महाविद्यालय का नियमित छात्र होना आवश्यक नहीं है ।

छात्रसंघ निर्वाचन 2007–08
मतगणना की तैयारी एवं मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मतदान कक्ष में किसी भी प्रत्याशी या उम्मीवार द्वारा नामांकित अभिकर्ता/एजेन्ट को उपस्थित रहने का अधिकार नहीं होगा । प्रत्याशी स्वयं चाहे तो उपस्थित रह सकता है।
2. यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में उपस्थित हो जाता है तो उम्मीदवार या प्रत्याशी को मतदान पूर्व खाली मतपेटी दिखाना है, तत्पश्चात् मतपेटी का ताला लगाकर बन्द करना है । प्रदाय की गई गोंद लगी पेपर सील पर प्रत्याशी, मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित कर मत पेटी को सील करना है । (केवल पेपर सील को ही चिपकाना है)
3. मतदाता, मतदाता–सूची पर अपने नाम के समक्ष हस्ताक्षर करेगा व मतदान अधिकारी उसके नाम को ( ) सही के निशान से अंकित भी करेगा ।
4. मतदान हेतु, मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने के पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करेगा ।
5. मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर (फोल्ड करके) देगा । मतपत्र इस प्रकार से मोड़ा जायेगा कि किसी दूसरे के नाम पर पूर्व में लगाई गई सील (मत अंकित करते समय) किसी दूसरे प्रत्याशी पर न लगने पाए ।
6. कक्षा प्रतिनिधि व छात्रसंघ पदाधिकारियों के मतदान हेतु फोटो परिचय–पत्र व फीस की मूल रसीद लाना अनिवार्य है। (फोटो परिचय–पत्रफीस की मूल रसीद लाना महाविद्यालय का परिचय पत्र न होने की स्थिति में ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक) व फीस की मूल रसीद लाना अनिवार्य है।
7. मतदान उपरान्त मतदाता के परिचय–पत्र , फीस की रसीद पर मतदान अधिकारी द्वारा – मतदान किया/वोटेड की सील लगाई जायेगी। (संबंधित के परिचय पत्र, फीस रसीद पर)
8. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर एक लंबी घंटी बजेगी। मतदान प्रारंभ की सूचना केवल एक घंटे के रूप में/एक घंटी (सिंगल) बजवाई जायेगी। मतदान समाप्ति पर लम्बी घंटी बजबाई जायेगी ।
9. मतदान की समाप्ति तक यदि मतदान के लिये मतदान कक्ष के बाहर शेष मतदाता उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पंक्तिबद्ध कर मतदान अधिकारी के द्वारा स्वहस्ताक्षरित पर्ची घटते क्रम संख्या से पंक्ति के सबसे अंतिम मतदाता को सबसे पहले बांटते हुए दी जायेगी। (शेष बचे सभी मतदाताओं को) ऐसे पर्चीधारी शेष बचे हुए मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जायेगा ।
10. दृष्टिहीन मतदाता का मत, दृष्टिहीन के साथी द्वारा डाला जाऐगा।
11. मतदाता सूची में साधारण त्रुटी (लिपिकीय त्रुटि जैसे मात्रा आदि) को त्रुटि नहीं माना जाऐगा।
12. मतदान समाप्ति के पश्चात् उपस्थित प्रत्याशियों के समक्ष मतदान अधिकारी दल मत–पेटियों को खोलेंगे व मतपत्रों की गणना नियमानुसार करेंगे। छात्रसंघ पदाधिकारियों की मतगणना पृथक मतगणना समिति द्वारा की जाऐगी।

13. मतगणना के पश्चात सामग्री नियंत्रण कक्ष में वापस जमा होगी।

अ. उपयोग में लाये गये वैध मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाया जायेगा ।

ब. उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाया जायेगा ।

स. कटे–फटे, निरस्त गलत मुद्रण आदि, ऐसे मतपत्र निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाया जाऐगा ।

द. मतगणना का परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र खुला हुआ जमा/लौटाया जायेगा ।

य. शेष मतदान सामग्री मतदान पेटी में रखकर नियंत्रण कक्ष में लौटाई जायेगी।

14. निविदत्त मतपत्र : यदि कोई मतदाता मत देने आता है और उसका पूर्व से ही मत डाला जा चुका है तो उसे मतदान करने का अवसर दिया जावेगा, किन्तु ऐसे मतपत्र पृथक लिफाफे में सील किये जायेगें ।

15. नामांकन एवं नाम वापसी निर्धारित प्रपत्रों में ही मान्य होगी ।

16. नामांकन पत्र मे ंचाही गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरी जाऐगी। प्रत्याशी, प्रस्ताव के एवं समर्थक अपनी–अपनी कक्षा की मतदाता सूची का क्रमांक लिखेंगे तथा निर्धारित स्थान पर मतदान अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्याशी द्वारा प्रस्तावक समर्थक के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

17. कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में प्रत्याशी का उसी कक्षा एवं वर्ग का विद्यार्थी होना अनिवार्य है जिस कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि पद के लिये वह चुनाव लड़ रहा है। प्रस्तावक एवं समर्थक का भी उसी कक्षा एवं वर्ग का विद्यार्थी होना आवश्यक है। प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा की मतदाता सूची में अपने क्रमांक का उल्लेख नामांकन पत्र में यथा स्थान पर मतदान अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेंगे जिसे प्रत्याशी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाऐगा ।

18. छात्रसंघ पदाधिकारी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन के लिये प्रत्याशी का संबंधित महाविद्यालय का मतदाता होना आवश्यक है।

19. किसी भी नामांकन पत्र पर यदि एक ही वर्ग के प्रत्याशी के प्रस्तावक एवं समर्थक ने एक से अधिक नामांकन पत्रों पर प्रस्ताव एवं समर्थन कर दिया है तो ऐसे सभी नामांकन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।

20. संबंधित अधिकारी के समक्ष एक बार भरा हुआ नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर उस नामांकन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाऐगा ।

21. प्रत्येक चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होगा ।

22. चुनाव में बराबर मत प्राप्त होने पर निर्णय पर्ची डाल कर होगा ।

23. मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद सभी संवर्गो में मतदान स्थल पर ही मतगणना प्रारंभ कर दी जाऐगी। अतः प्रत्याशी मतदान की समाप्ति के बाद कक्ष में उपस्थित रहें, ताकि मतगणना उनकी उपस्थिति में हो। प्रत्याशियों के अनुपस्थित रहने पर भी मतदान की समाप्ति के उपरान्त मतगणना प्रारंभ कर दी जायेगी तथा मतगणना के उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया जाऐगा। घोषित परिणाम की आधिकारिक प्रति चुनाव नियंत्रण कक्ष/प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है।

24. प्रत्येक संवर्ग में चुनाव प्रत्याशी बनने की स्थिति में, प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक का व्यक्तिशः उपस्थित होकर मतदान अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

छात्र संघ चुनाव वर्ष 2007–08

मूल्य .... रूपये

नामांकन प्रपत्र

संवर्ग–कक्षा प्रतिनिधि :

प्रत्याशी का नाम : ....

कक्षा एवं वर्ग : ....

(स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र/छात्रा विषय का भी उल्लेख करें)

कक्षा एवं वर्ग की मतदाता सूची का क्रमांक : ....

प्रस्तावक तथा समथ्रक संबधंी जानकारी :

प्रस्तावक का नाम :	समर्थक का नाम :
कक्षा एवं वर्ग :	कक्षा एवं वर्ग
कक्षा की मतदाता सूची का क्रः	कक्षा की मतदाता सूची का क्रः
प्रस्तावक के हस्ताक्षर :	समर्थक के हस्ताक्षर :

<u>प्रत्याशी का अभिवचन पत्र</u>

मैं श्री/कुमारी/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... कक्षा एवं वर्ग .... छात्र संघ के चुनाव में कक्षा प्रतिनिधि पद के लिये प्रत्याशी हूँ तथा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित अभिवचन देता / देती हूँ ।

1. मैंने चुनाव आचरण संहिता पढ़ ली है और मैं अपना आचरण इस संहिता के अनुरूप शिकायत विवरण प्रकोष्ठ रखूँगी / रखूँगा । मेरे द्वारा संहिता का उल्लंघन किये जाने पर मेरे प्रत्याशीकरण को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
2. मैंने 10 + 2 की परीक्षा 2003 के पूर्व उत्तीर्ण नहीं की है न ही मैंने पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अवधि से अधिक अवधि में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है । मैंने महाविद्यालय में सभी आवश्यक शुल्क जमा कर दिए हैं ।
3. मैंने सभी परीक्षाएँ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हैं और मुझे अभी तक पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं रही है ।
4. मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही न्यायालय में आरोप तय कर कोई न्यायालयीन कार्यवाही मेरे विरूद्व लम्बित है।
5. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए मुझे कभी भी नहीं पकड़ा गया है, न ही इसके लिए दण्डित किया गया है । न ही कार्यवाही लंबित है ।
6. एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर / या अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़कर मैंने किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं किया है।
7. मेरा महाविद्यालय में प्रवेश अस्थायी (प्रोविजनल) नहीं है । मेरे विरूद्व कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था द्वारा नहीं की गई है । न ही लम्बित है । मैं किसी भी प्रकार के रोजगार (जॉब) में नहीं हूँ ।
8. मेरे विरूद्व महाविद्यालय का कोई भी अग्रिम बकाया नहीं है । मुझे कभी भी छात्रावास से निष्कासित नहीं किया गया है ।
9. मैं स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर गत वर्षो में कक्षा प्रतिनिधि के पद पर निर्वाचित / मनोनीत नहीं हुआ था । भारतीय दण्ड विधान संहिता का उल्लंधन नहीं किया है ।
10. उक्त अभिवचन पत्र मेरे द्वारा छात्र संघ निर्वाचन सत्र .... के प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के संदर्भ में दिया जा रहा है ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

नामांकन परीक्षण समिति की टीप :

1. नामांकन पत्र सही पाया गया ।
2. नामांकन पत्र सही नहीं पाया गया । क्योंकि ....

....

नामांकन परीक्षण समिति के हस्ताक्षर

संलग्न करना अनिवार्य है :

– 12 वीं कक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति
– विगत सभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की अंकसूची की सत्यापित प्रति
– सत्र .... में प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति तथा मूलप्रति
– 12 वीं कक्षा से वर्तमान तक की अंकसूचियों की मूलप्रति (जिसे चुनाव बाद वापिस कर दिया जायेगा)

छात्रसंघ निर्वाचन 2007–08

कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन के संबंध में

प्रत्याशी का घोषणा पत्र

मैं .... आत्मज / आत्मजा श्री .... कक्षा .... वर्ग .... यह घोषणा करता हूँ कि, स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अवधि में विगत वर्षो में कक्षा प्रतिनिधि का प्रत्याशी (हारा या जीता) नहीं रहा / रही हूँ ।

दिनांकः

समय :

स्थान :

घोषणाकर्ता

हस्ताक्षर

नाम :..

कक्षा :

वर्गः

पता :

छात्रसंघ निर्वाचन 2007–2008

नाम वापसी का प्रपत्र

मैं ....आत्मज श्री / श्रीमती / कु.. कक्षा ....वर्ग .... ने .... संवर्ग से .... पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किया था, जिसे मैं अपनी स्वेच्छा से वापिस लेता हूँ ।

दिनांक : .... हस्ताक्षर प्रत्याक्षी ....

समय :.. नाम प्रत्याशी ....

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्याशी ने नाम वापसी के प्रपत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये ।

हस्ताक्षर मतदान अधिकारी

नाम मतदान अधिकारी ....

छात्र संघ निर्वाचन वर्ष 2007 – 2008

<u>मतपत्र</u>

कक्षा प्रतिनिधि

कक्षा :.................................   वर्ग : ....

प्रत्याशी का नाम :

छात्रसंघ निर्वाचन – 2007–08

मतगणना के नियम

1. चुनाव गुप्त मतदान की प्रणाली के आधार पर होंगे। अधिकतम् मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होगा दो या अधिक प्रत्याशियों को ससमान मत यदि प्राप्त होते हैं तो विजयी प्रत्याशी का निर्णय पर्ची डालकर (ड्रा निकालकर) होगा।
2. कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव में एक–एक मतपत्र उठाकर जिस प्रत्याशी को वैध मत दिया गया है उसके नाम की घोषणा मुख्य मतगणना अधिकारी के द्वारा की जाती रहेगी जिसके आधार पर अन्य मतगणना अधिकारी अपने गणना पत्रक पर मत अंकित करने हेतु क्रमबद्ध तरीके से काटेंगे प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त मतपत्र अलग–अल गड्डियों में रखे जायेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनगर्णना आसानी से की जा सके।
3. मतगणना के लिये मतगणना पत्रक प्रदान किया जावेगा इसको पूरा भरने के उपरान्त इसी पत्रक में अंकित मतपत्र लेखे में मतपत्रों का हिसाब भी प्रस्तुत करना है।
4. मतपत्र में प्रत्याशियों के नाम सीमा रेखा खींचकर पृथक–पृथक अंकित किये गये हैं। उसी प्रत्याशी को वैध मत दिया गया माना जायेगा जिस प्रत्याशी के नाम की सीमा रेखा में मत अंकित किया गया है मत सील लगाकर दिया जायेगा जिस प्रत्याशी की सीमा रेखा के अन्दर सील लगी हुई होगी उसी प्रत्याशी को वह मत वैध रूप से दिया गया माना जाऐगा।
5. यदि सील इस प्रकार से लगी है कि वह दो प्रत्याशियों की सीमा रेखा को दू रही हो तो जिस प्रत्याशी की सीमा में सील का अधिकतम भाग होगा उसी प्रत्याशी को मत दिया गया माना जाऐगा। यदि सील इस प्रकार लगी हो कि दोनों प्रत्याशियों की सीमा रेखा में आधा–आधा भाग होगा वह मत निरसत माना जाऐगा।
6. यदि सील सभी प्रत्याशियों की सीमा रेखा से बाहर लगी हुई होगी तो वह मत किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया गया माना जाकर निरस्त कर दिया जाऐगा।

7. मतपत्र निरस्त माना जायेगा यदि :–

अ. मतपत्र पर कोई पहचान चिन्ह अथवा लेखन अंकित हो जिससे मत पहचाना जा सके।

ब. मत देने के लिये निर्धारित सील के अलावा अन्य तरीके से मत अंकित किया गया है या सील अंकित नहीं की गई है ।

स. सील इस प्रकार से लगाई गई है कि किस प्रत्याशी को मत दिया गया है यह सुनिश्चित किया जाना संदेहास्पद हो।

उ. एक से अधिक प्रत्याशियों की सीमा रेखा में सील लगाई गई हो।

ई. मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो।

8. गतिविधि समितियों एवं छात्रसंघ के पदाधिकारियों के मतपत्र जिनमें एक से अधिक पदों के लिए मतदान किया जाना है उनमें से यदि एक पद पर उपरोक्त नियमों के अनुसार कोई मत अवैध होता है किन्तु अन्य पदों के लिए वैध मत दिया गया है तो वह मत उसी पद के लिए अवैध माना जाऐगा शेष पदों के लिए मत वैध होगा ।

छात्रसंघ निर्वाचन 2007–2008
चुनाव परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र
(Election Result & Counting Sheet)

कक्षा प्रतिनिधि

कक्षा क्रमांक ....

प्रदत्त मतपत्र

कक्षा एवं वर्ग ....

मतगणना परिणाम

प्रत्याशी का नाम	प्राप्त मतपत्र
....	
....	
....	
....	

विजेता प्रत्याशी का नाम : :..

मतपत्र लेखा

डाले गये मतपत्रों की संख्या :..

डाले गये अवैध मतपत्रों की संख्या :..

कटे फटे एवं निरसत मतपत्रों की संख्या :..

उपयोग में नहीं लाये गये शेष बचे मतपत्रों की संख्या :..

योग (कुल प्राप्त मतपत्र) :..

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र संघ चुनाव 2007–2008 के लिये निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप चुनाव सम्पन्न हुआ है । मतगणना चुनाव समाप्ति के तत्काल बाद कर दी गई है तथा परिणाम की घोषणा भी कर दी गई है ।

पीठासीन अधिकारी एवं
मतदान अधिकारियों के नाम व हस्ताक्षर

1. नाम ....हस्ताक्षर

2. नाम ....हस्ताक्षर

3. नाम ....हस्ताक्षर

|| प्रमाण– पत्र ||

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. ....
पुत्र / पुत्री ....
कक्षा .... वर्ग .... महाविद्यालय के ....
.... छात्रसंघ वर्ष 2007 – 2008 के
पद .... पर निर्वाचित किये गये ।

हस्ताक्षर ....

पीठासीन अधिकारी

कक्षा ....

छात्रसंघ चुनाव 2007–08
निर्वाचन के संबंध में
प्रत्याशी का घोषणा पत्र

मैं .... आत्मज / आत्मजा श्री .... कक्षा .... वर्ग .... यह घोषणा करता हूँ कि, मैं विगत वर्षो में उस पद का प्रत्याशी (हारा या जीता) नहीं रहा / रही हूँ जिस पद के लिये अभ्यार्थी के रूप में नामांकन – पत्र दाखिल कर रहा/ रहीं हूँ

दिनांकः   घोषणाकर्ता

समय :

स्थान :   हस्ताक्षर

नाम :..

कक्षा :

वर्गः

पता :